न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :–श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प खुडासा
राजस्व वाद संख्या :– 45/2023

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 जोगाराम 2 सत्यनारायण 3 कंवरपाल पिसरान भोमाराम जाति जाट निवासी खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण 4 टीपूदेवी पुत्री भोमाराम पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी, नोख तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 भोमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खुड़ास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. वादीगण।
2. प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 15/06/23

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 41 रकबा 184.06 बीघा, खसरा संख्या 45 रकबा 210.00 बीघा, खसरा संख्या 52 रकबा 268.09 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 51 रकबा 0.03 बीघा भूमि आई हुई है। वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्व पुरूष किशनाराम के नाम दर्ज हुई तथा किशनाराम के देहान्त पश्चात उक्त भूमि भोमाराम एवं उसके सगे भाई हीराराम के नाम दर्ज हुई। वर्तमान मे प्रतिवादी भोमाराम व हीराराम ने आपस में विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग करवा दिया है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी का पैतृक वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। लिहाजा मौजा खुड़ास पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गावों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प खुडासा में मजमे आम में वादीगण एवं प्रतिवादी को आवाज लगाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान की पहचान भू–अभिलेख निरीक्षक सरली ने दी। प्रतिवादी ने जवाब दावा एवं वादीगण एवं प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक खातेदारी अधिकारों की भूमि मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

क्टेयर भूमि आई हुई है तथा वादीगण प्रतिवादी के जायन्दा सन्तान होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। लिहाजा मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 जोगाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा, नकल बन्दोबस्त की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–5 है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635 हैक्टेयर भूमि वादीगण एव प्रतिवादी भोमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–01 एवं जमाबन्दी संवत 2074 से 2077, प्रदर्श–02 व नक्शा प्रदर्श–03 से प्रदर्श–05 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खुड़ासा पटवार क्षैत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी भोमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15/06/23 को मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

प्रपत्र –5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :–श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

अन्तिम डिक्री

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प खुडासा

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 भोमाराम 2 सत्यनारायण 3 ...रपाल पिसरान भोमाराम जाति जाट निवासी खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण 4 टीपूदेवी पुत्री भोमाराम पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी, नोख तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 भोमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खुड़ास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

मुकदमा नम्बर :– /2023

निर्णय दिनांक :– 15/06/23

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15/06/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 429/52 रकबा 14.2692 हैक्टेयर, खसरा संख्या 51 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 562/428 रकबा 14.4635 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी भोमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः **तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 15/06/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया		रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6 कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7 आदेषिका की तामिल		कमिष्नर की फीस	
जोड		जोड	